1 प्रवकं 31/2009 क्लेम

न्यायालयः— अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्षः—डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 31 / 2009 क्लेम</u> संस्थित दिनांक 01.10.2009

प्रदीप पुत्र प्रेमनारायण कुशवाह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पचेरा तहसील मेंहगॉव जिला भिण्ड म.प्र.।

<u>बनाम</u>

- 1— गढूसिंह उर्फ छत्रपाल सिंह पुत्र रणवीरसिंह सेंगर आयु 35 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम पचेरा तहसील मेंहगाँव जिला भिण्ड म0प्र0।
- 2— सतेन्द्र सिंह पुत्र शेपतसिंह भदौरिया उम्र 55 वर्ष जाति ठाकुर निवासी ग्राम पचेरा तहसील मेंहगॉव जिला भिण्ड म0प्र0।
- 3— शाखा प्रबंधक यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ब्रांच 14 ऊषा कालोनी इटावा रोड भिण्ड म0प्र0।

.....बीमाकंपनी / अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री अवध बिहार पाराशर अधि0 । अनावेदक कृ0—1 व 2 द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्वत अधि0 । अनावेदक कृ0—3 द्वारा श्री आर0के0बाजपेई अधि0

// अधि— निर्णय // (आज दिनांक 9—1—2015) को घोषित किया गया)

01. आवेदक / याचिका कर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर व्हीकल एक्ट का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है जिसमें आवेदक ने दिनांक 02.06.2006 को एण्डोरी छींमका रोड पर टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 एम. 9703 के चालक,

स्वामी व बीमा कम्पनी के विरूद्ध दुर्घटना में आई हुई चोटों के फलस्वरूप आई उपहित बावत् 75,000 / — रूपए प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने बावत् पेश किया गया है।

आवेदक / याचिका कर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से 02. है कि दिनांक 02.06.2006 को आवेदक एवं उसका भाई दिलीप गाँव के रामेश्वर काछी के लंडके नंदिकशोर की बारात में टैक्टर कमांक एम.पी. 30 एम. 9703 तथा द्वाली कमांक एम.पी. 30 एम. 9704 में बैठकर बारात में एण्डोरी जा रहे थे जैसे ही उक्त टैक्टर एण्डोरी छीमका रोड के फाटक के पास पहुँचा, अनावेदक कमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप उक्त टैक्टर द्वाली रेलवे फाटक के पहले पलट गया जिससे आवेदक के सिर और माथे में वांई तरफ और भौंह के उपर चोट लगकर खून निकलने लगा। गोहद थाने में सूचना दी गई जिस पर उसे गोहद अस्पताल ले जाया गया वहाँ पर प्राथमिक उपचार कराये जाने के बाद उसे ग्वालियर हॉस्पीटल के लिए रेफर किया गया जहाँ दिनांक 04.06. 2006 तक जे.ए.एच. हॉस्पीटल में भर्ती रहा, उसके बाद उसके द्वारा प्राइवेट हॉस्पीटल में इलाज कराया गया। दुर्घटना में आई चोटों के कारण चोटों के उपचार में लगभग 50,000 / – रूपए आवेदक को खर्च करना पडा। आवेदक जो कि पशुपालन एवं दूध का व्यवसाय का काम करता था और वार्षिक 60,000/- रूपए की आमंदनी अर्जित कर लेता था। एक माह तक कोई काम नहीं कर सका जिससे पांच हजार रूपए की आर्थिक क्षति हुई और उसके माता-पिता और भाई भी एक माह तक कोई काम नहीं कर सके और उन्हें 10,000/-रूपए की क्षति हुई। आवेदक को पोष्टिक आहार का सेवन करना पडा जिसमें 10,000/-रूपए का खर्चा हुआ। उक्त वाहन टैक्टर जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था तथा अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था, अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा उक्त टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने से दुर्घटना कारित की गई जिस कारण अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से 75,000/- रूपए तथा ब्याज प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन किया है।

03. अनावेदक कमांक 2 व 3 ने अपने जबाव में आवेदक के आवेदनपत्र के अभिकथन के बारे में जानकारी न होना बताते हुए यह बताया है कि वाहन कमांक एम.पी. 30 एम. 9703 से कोई भी दुर्घटना नहीं हुई थी तथा अनावेदक कमांक 2 सतेन्द्र सिंह के नाम के किसी वाहन से घटना होने से भी इंनकार किया है और आवेदन का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

04. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा आवेदक के आवेदन के अभिवचनों को इंनकार करते हुए दुर्घटना के संबंध में आवेदक की आयु 18 वर्ष की होने अथवा उसके द्वार पशुपालन व दूध व्यवसाय से 60,000/— रूपए की आय अर्जित करने के तथ्य

को भी इंनकार किया है एवं वाहन टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 एम. 9703 से कोई भी दुघर्टना होने से इंनकार किया है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि संबंधित टैक्टर का बीमा केवल कृषि कार्य हेतु किया गया था जिस पर मात्र एक चालक ही बैठ सकता है, चालक के अलावा कोई भी व्यक्ति बैठकर यात्रा नहीं कर सकता है। मात्र चालक के बैठने के लिए ही प्रीमियम बीमा कम्पनी के द्वारा लिया गया है । अन्य किसी व्यक्ति का कोई प्रीमियम नहीं लिया गया है जबिक घटना के समय उपरोक्त वाहन का प्रयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत बारात के यात्रियों को ले जाने के लिए किया गया है और आवेदक भी उसमें यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। जिस कारण बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को टैक्टर चालक के पास टैक्टर चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी लाइसेंस नहीं था जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन हुआ है। इस कारण भी बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है। ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के विरुद्ध दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

05. आवेदकग एवं अनावेदकगण के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गई है जिनके समक्ष निकाले गए निष्कर्ष लेखबद्ध किए है—

कृ.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 02.06.2006 को शाम 05:30 बजे एण्डोरी छीमका रोड रेलवे फाटक के पास थाना क्षेत्र एण्डोरी में अनावेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क. 2 के स्वामित्व के टैक्टर क. एम.पी. 30 एम. 9703 को तेजी व लपारवाही से चलाकर पलट दिया जिससे उसमें बैठे आवेदक प्रदीप सिंह को गंभीर चोटें आई?	
2	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हॉं तो किस से व कितना कितना?	
3	क्या उक्त वाहन बीमा पॉलिसी पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था? यदि हॉ तो प्रभाव?	
4	सहायता एवं व्यय?	

::- निष्कर्ष के आधार-::

विंदु क्रमांक 1 का सकारण निष्कर्ष:-

आवेदक प्रदीप सिंह आवेदक साक्षी 1 के द्वारा अपने शपथपत्र में साक्ष्य कथन 06. में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि दिनांक 02.06.2006 को अपने भाई दिलीप के साथ बारात में टैक्टर कमांक एम.पी. 30 एम. 9703 से जिसमें कि द्राली कमाक एम.पी. 30—9704 जुडी थी बैठकर गाँव के रामेश्वर के लडके नंदिकशारे की बारात में एण्डोरी जा रहा था। उक्त टैक्टर को उसके चालक अनावेदक क्रमांक 1 गढ़्सिह तेजी और लापरवाही से चला रहा था। सभी बाराती कह रहे थे कि टैक्टर धीरे चलाओ फिर भी टैक्टर चालक ने टैक्टर को तेजी और लापरवाही से चलाया जिस कारण ग्राम एण्डोरी के पहले रेलवे फॉटक में वाहन को पलटा दिया जिससे कि उसके सिर में वाई तरफ और भौंह के उपर घॉव होकर खून बहने लगा उसके बाद भाई दिलीप उसे दूसरे टैक्टर से गोहद चौराहा लाया और गोहद चौराहा थाने पर सूचना दी, उसे गोहद अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया और जहाँ उसे ग्वालियर रिफर किया गया। जे.ए.एच. ग्वालियर में उसका दिनांक 04.06. 2006 तक इलाज चला था। आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में आपराधिक प्रकरण अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध उक्त घटना के संबंध में चलने बावत् अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1, प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रतिलिपि प्र.पी. 2, 3 एवं नक्शा मौका प्र.पी. 4, एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी.5, सिटी स्केन रिपोर्ट प्र.पी. 6, सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 7, डिश्चार्ज टिकिट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 8, जप्ती पत्रक प्र.पी. 9, मैकेनिकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 और गिरफ्तारी पचनामा प्र.पी. 11 पेश किया गया है।

07. आवेदक प्रदीप के उपरोक्त कथन का समर्थन आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी दिलीप सिंह आ0सा0 2 एवं रामानंद आ0सा0 3 के कथनों से भी होती है जो कि उक्त दोनों भी घटना के समय उसी टैक्टर द्वाली में थे जिसमें कि आवेदक प्रदीप था। उक्त साक्षी गण के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में टैक्टर के ज्ञाइवर अनावेदक क्रमांक 1 गढ़्सिंह के द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के फलस्वरूप एण्डोरी के पहले रेलवे फांटक के पास उक्त टैक्टर द्वाली को पलट दिया जाना जिससे कि आवेदक के सिर में बाई तरफ भौंह के उपर चोट आई थी। साक्षी दिलीप सिंह आ0सा0 2 के द्वारा यह भी बताया गया है कि आवेदक को दूसरे टैक्टर से गोहद चौराहा लाया गया था और थाना गोहद चौराहा पर उसने घटना की सूचना दी थी और आवेदक को इलाज के लिए जे.ए.एच. ग्वालियर भेजा गया था।

- आवेदक प्रदीपसिंह के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। इस 08. संबंध में उसके द्वारा इस सुझाव से इनकार किया गया है कि वह टैक्टर द्वाली के पीछे वाले दरवाजे पर बैठा था और धंचका लगने से वह गिर गय था। इस सुझाव से इंनकार किया है कि वह स्वंय की लापरवाही से गिर गया था इस कारण से उसे चोटें आई है। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले टैक्टर द्वाली कोतेजी व लापरवाही से चलाए जाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में उसके द्वारा किया गया कथन अखण्डनीय रहा है। इस बिन्दु पर आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी दिलीप सिंह आवेदक साक्षी 2 और रामानंद आ०सा० 3 के प्रतिपरीक्षण उपरांत भी इस बिन्दू पर उनके कथनों में कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है। उक्त साक्षी जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है तथा साक्षी दिलीप के द्वारा घटना की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, के कथनों के आधार पर भी दुर्घटना दिनांक को अनावेदक कमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन टैक्टर द्वाली को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित किया जाने का तथ्य प्रमाणित होता है।
- आवेदक पक्ष के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि से भी अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा टैक्टर द्वाली को पलटने से दुर्घटना कारित किया जाना जिसमें कि आहत प्रदीप के सिर व माथे में चोट आने की पुष्टि थाना गोहद चौराहा में घटना के तुरंत पश्चात् दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि जीरो पर कायम किया गया है प्र. पी. 3 तथा थाना एण्डोरी में नम्बर पर कायम रिपोर्ट प्र.पी. 2, घटना स्थल का नक्शा मौका प्र. पी. 4, आहत प्रदीप की एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 5, सिटी स्केन रिपोर्ट प्र.पी. 6, सुपुर्दगीनामा प्र.पी. ७, डिस्चार्ज टिकिट प्र.पी. ८, जप्ती पत्रक प्र.पी. ७, मैकेनिकल जॉच रिपोर्ट प्र.पी. १० तथा अनावेदक क्रमांक 1 की गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 11 एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अनावेदक कमांक 1 के विरूद्ध अभियोगपत्र प्र.पी. 11 के दस्तावेजों के आधार पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की गई और उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आहत प्रदीप को चोटें आई।
- यद्यपि आहत प्रदीप को आई चोटों का जहाँ तक प्रश्न है। उसके सिर और 10. भौंह में चोटें आना एम.एल.सी. रिपोर्ट प्र.पी. 5 में उल्लेख है, लेकिन आहत को कोई भी अस्थिमंग कारित हुआ हो या कोई घोर उपहति कारित हुई हो ऐसा कहीं भी किसी एक्सरे रिपोर्ट अथवा सिटी स्केन रिपोर्ट के आधार पर पुष्ट नहीं है। सिटी स्केन रिपोर्ट प्र.पी. 6 में भी कहीं भी कोई फ़ेक्चर या गंभीर उपहति आवेदक को होना नहीं पाया गया है तथा डिस्चार्ज

टिकिट प्र.पी. 8 के आधार पर भी आहत प्रदीप को कोई गंभीर उपहित आने का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस के द्वारा विवेचना की जाकर जो अभियोगपत्र पेश किया गया है उसमें भी धारा 279, 337 भा0दं०सं० के अंतर्गत अभियोगपत्र अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पेश किया गया है। ऐसी दशा में आवेदक को उक्त दुर्घटना में उपहित कारित होना प्रमाणित है, किन्तु कोई गंभीर उपहित आने का तथ्य प्रमाणित नहीं है।

- 11. आवेदक पक्ष के द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर प्रस्तुत साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष की ओर से अनावेदक कमांक 2 वाहन स्वामी सतेन्द्र सिंह को अना0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसके टैक्टर के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गई है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका टैक्टर दाली जप्त की गई थी और अनावेदक कमांक 1 चालक के खिलाफ प्रकरण भी न्यायालय में चल रहा है। निश्चित तौर से जब कि उक्त अनावेदक जिसके स्वामित्व की टैक्टर दाली है के द्वारा उक्त टैक्टर दाली को सुपुर्दगीनामे पर प्राप्त किया गया है। उसके द्वारा उक्त टैक्टर दाली के चालक के विरुद्ध विवेचना की जाकर घटना में सलंग्न पाते हुए अभियोगपत्र भी पेश किया गया है। उक्त स्वामी के द्वारा कभी भी कोई आपत्ति इस आशय की, की गई हो कि टैक्टर दाली को घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक कमांक 1 जो कि प्रश्नाधीन वाहन को घटना के समय चला रहा था उसका भी कोई कथन अनावेदक पक्ष की ओर से नहीं कराया गया है जबिक वह इस बिन्दु पर प्रतिखण्डन हेतु सर्वोत्तम साक्षी था।
- 12. इस प्रकार आवेदक पक्षक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के टैक्टर द्वाली क्रमांक एम.पी. 30 एम. 9703 एवं एम.पी. 30 एम. 9704 को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के फलस्वरूप पलटा दिया जाने से दुर्घटना कारित की गई। उक्त दुर्घटना में आवेदक को गंभीर उपहित कारित होने पहले प्रमाणित नहीं है, किन्तु आवेदक को दुर्घटना में चोट आकर उपहित कारित होना प्रमाणित पाया जाता है। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 3 का निष्कर्ष:-

13. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है जिसके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर का बीमा उनके यहाँ केवल कृषि कार्य हेतु किया गया था जिस पर कि मात्र एक चालक ही बैठ सकता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति बैठकर यात्रा नहीं कर सकता है। अन्य किसी व्यक्तियों के बैठने का कोई प्रीमियम बीमा कम्पनी के द्वारा नहीं लिया गया है। घटना दिनांक को वाहन का उपयोग पॉलिसी की शर्तों के विपरीत यात्री ले जाने के लिए किया जा रहा था जो कि वाहन में बारात ले जाई जा रही थी और आवेदक स्वयं उक्त वाहन में बैठकर बारात में जा रहा था। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी के द्वारा यह भी आधार लिया गया है कि टैक्टर चालक के पास टैक्टर को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ब्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लखन हुआ है। इस कारण भी अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है।

- 14. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षी हितेन्द्रबहादुर सहायक ग्रेड—3 आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड तथा राजेश गुप्ता बीमा कम्पनी के शाखा प्रबंधक के कथन कराए है।
- अनावेदक क्रमांक 1 गढूसिंह पुत्र छत्रपालसिंह घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन 15. टैक्टर ट्राली चला रहा था जो कि इस संबंध में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है। इस संबंध में स्वयं अनावेदक क्रमांक 2 जो कि टैक्टर द्वाली का मालिक है के द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि टैक्टर का ज़ाइवर अनावेदक क्रमांक 1 था और वही टैक्टर को चला रहा था। अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा चालक अनावेदक क्रमांक 1 का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया गया है जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्र.डी. 3सी है जिसके अनुसार लाइसेंस का क्रमांक व्ही.265 / 2002 है। उक्त लाइसेंस का बेरीफिकेशन बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा कराया गया है जो कि इस संबंध में आर0टी0ओ0 कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 हितेन्द्रबहादुर साक्षी कमांक 2 के द्वारा यह बताया गया है कि ज्ञाइविंग लाइसेंस व्ही.265/2002 सन् 2002 में विनोद कुमार के नाम पर जारी किया गया है। सन् 2002 में व्ही.265 का कोई सीरियल नहीं है। उपरोक्त ड्राइविंग लाइसेंस आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड के अभिलेख के अनुसार जारी नहीं किया गया है। इस सबंध में प्र.डी. 2 में टीप आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड के द्वारा दर्ज की गई है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी को लाइसेंस क्रमांक डी.265/02 के संबंध में पूछा गया है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि लाइसेंस क्रमांक डी.265/02 अनावेदक क्रमांक 1 से संबंधित नहीं है, बल्कि स्वयं अनावेदक पक्ष के द्वारा जो लाइसेंस पेश किया गया है उसके अनुसार लाइसेंस का क्रमांक व्ही.265/02 दर्शाया गया है और उक्त लाइसेंस के संबंध में कम्पनी की ओर से कराए गए बेरीफिकेशन के अनुसार उक्त कमांक का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। जैसा कि इस संबंध में साक्षी कम्पनी के अधिकारी शाखा प्रबंधक राजेश गुप्ता अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 के कथन में भी आया है। इस

प्रकार लाइसेंस कमांक व्ही.265 / 02 वास्तव में आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड के द्वारा जारी किया गया लाइसेंस है यह प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर कि उक्त लाइसेंस वैध लाइसेंस है प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि उक्त लाइसेंस वैध होना नहीं पाया जाता है।

- 16. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर द्वाली का उपयोग बारात की सवारियों को ले जाने के लिए किया जा रहा था तथा आवेदक वाहन में बारात की सवारी के रूप में सवारी कर रहा था। जबिक टैक्टर द्वाली में किसी भी व्यक्ति के बैठने का कोई स्थान नहीं होता है। किसी सवारी के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रीमियम भी बीमा कम्पनी के द्वारा नहीं लिया गया है। टैक्टर द्वाली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए होता है और कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में उसे लाया जा रहा था। इस संबंध में कम्पनी के शाखा प्रबंधक राजेश गुप्ता अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 1 के द्वारा उपरोक्त आशय के कथन स्पष्ट रूप से किया गया है तथा बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 1 भी उनके द्वारा पेश की गई है।
- घटना के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य कथन में यह तथ्य आया है कि घटना दिनांक को आवेदक प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर द्वाली में बारात में जा रहा था और उक्त टैक्टर द्वाली बारात में सवारियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था। जबकि टैक्टर का उपयोग केवल कृषि कार्य प्रयोजन के लिए होता है। टैक्टर द्वाली में चालक के अतिरिक्त किसी के बैठने का कोई स्थान भी नहीं होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नाधीन वाहन के बीमा में कहीं भी सवारियों के संबंध में कोई प्रीमियम भी अदा नहीं किया गया है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा इस संबंध में 2007(2) टी.ए.सी.८(एस.सी.) न्यू इंडिया इन्श्योरेंश कम्पनी वि० वेदबती बगैरह तथा मिथलेश वि० बृजेश सिंह 2007(1) एम.पी.एल.जे. 315 एवं 2010(1) एस.सी. सी.डी. 452 यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंश कम्पनी विरूद्ध अंगूरी देवी एवं 2013(4) ए.सी.सी.डी. 1859(एम.पी.) दौतलराम विरूद्ध रामेश्वर शर्मा बगैरह पेश किए गए है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में जबिक वर्तमान घटना में संलग्न वाहन टैक्टर द्राली बारात ले जाने के लिए उपयोग में लाई जा रहा था, जबिक उसका यात्रियों को ले जाने हेतु कोई रिस्कवर नहीं था और न ही कोई प्रीमियम अदा किया गया था। उक्त वाहन कृषि प्रयोजन से अन्य उपयोग में लाया जा रहा था। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता। तद्नुसार घटना के प्रश्नाधीन वाहन टैक्टर द्वाली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन कर चलाया जाना प्रमाणित है तथा चालक के पास वैध एवं प्रभावी ब्राइविंग लाइसेंस मौजूद होना

भी प्रमाणित नहीं है जिस कारण बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। तदनुसार वर्तमान वादप्रश्न का उत्तर "हाँ" में देते हुए अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेत् कोई दायित्व न होना अभिनिर्धारित किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 2:-

- प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वादप्रश्नों पर निकाला गया निष्कर्ष से यह प्रमाणित होना पाया गया है कि घटना दिनांक 02.06.06 को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व के टैक्टर क्रमांक एम.पी. 30 एम. 9703 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना की गई है, उक्त दुर्घटना में अनावेदक प्रदीप को चोटें आकर उपहति कारित होना भी प्रमाणित है।
- आवेदक को प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में आवेदक प्रदीप सिंह के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि घटा में आई हुई चोटों के इलाज में 50,000 / - रूपए खर्च हुए है तथा वह एक माह तक कोई काम नहीं कर पाया जिस कारण 5000/- रूपए का नुकसान हुआ और उसके माता पिता भी कोई काम नहीं कर पाए जिस कारण उन्हें भी नुकसान हुआ तथा उसे पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पडा उसमें भी खर्च हुआ है।
- सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आवेदक के द्वारा उसका इलाज चलने के 20. संबंध में जे0ए0एच0हॉस्पीटल ग्वालियर का डिस्चार्ज टिकिट पेश किया गया है जिसके अनुसार वह दिनांक 02.06.2006 से 04.02.2006 तक न्यूरोलॉजी सर्जरी विभाग में हेड इंजुरी होने के कारण भर्ती रहा है और उसका इलाज चला है। यद्यपि आवेदक के द्वारा सिटी स्केन भी कराया गया है जो कि सिटी स्केन प्राइवेट कराया गया है जो कि प्रकरण में संलग्न है। यद्यपि आवेदक के द्वारा उसके इलाज के संबंध में इलाज की कोई दवाई खरीदने बावत् कोई पर्चे प्रथक से पेश नहीं किये गये है। यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि उसे इलाज आदि में कोई खर्चा नहीं हुआ। निश्चित तौर से आवेदक जो कि दिनांक 02.06.06 को घटना में चोट आने के उपरांत उसे इलाज हेत् ग्वालियर ले जाया गया है वहाँ दो दिन तक उसका इलाज भी चला है। यद्यपि उसे कोई गंभीर उपहति आने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, किन्तु इलाज हेतु खर्च आना स्वभाविक है और इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सिटी स्केन भी कराया गया है, उसे दवाइयाँ आदि भी लेनी पड़ी होगी तथा चोटें दिखाने एवं आने जाने में भी खर्च लगा होगा व कुछ दिन विशेष आहार का भी सेवन करना पड़ा होगा। विशेषकर हेड इंजुरी के प्रकरणों में जो कि अनिश्चितता भरे होते है उसमें समुचित इलाज भी आवश्यक है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक के इलाज के सम्पूर्ण खर्च को दृष्टिगत रखते हुए 21. उसके इलाज के व्यय तथा उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट व अन्य सभी मदो पर मिलाकर एकमुस्त ८,००० / – रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित एवं सम्य्क प्रतिकर होगा। उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक 01.10.09 से दिनांक 07.05.2012 तक तथा पुनर्स्थापन दिनांक 20.06.14 से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी आवेदक पाने का अधिकारी है। उक्त प्रतिकर अदायगी का दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन होने से बीमा कम्पनी को अदायगी के दायित्व से मुक्त होना पाया गया है। उक्त प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से होगा। तद्नुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्द् क्रमाक ४:-

- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के उपरांत आवेदक के आवेदनपत्र को 22. आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है–
 - आवेदक अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 1. 8000 / - रूपए की राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी के दायित्व से मुक्त रहेगी।
 - उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक 01.10.09 से दिनांक 07.05.2012 तक तथा 2. पुनर्स्थापन दिनाक 20.06.14 से बसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी आवेदक अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से पाने का अधिकारी रहेगा।
 - अभिभाषक शुल्क 750/- निर्धारित की जाती है। 3.
 - उक्त राशि जमा होने पर आवेदक उसे बचत खाते के माध्यम से नगद प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

अवार्ड खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी0सी0 थपलियाल) अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी० थपलियाल) अति० मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड